बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

भारत गणराज्य

तथा

संयुक्त राज्य पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय,

वाणिज्य विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका

के बीच

समझौता ज्ञापन

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और संयुक्त राज्य पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (यूएसपीटीओ), वाणिज्य विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें इसमें इसके बाद संयुक्त रूप से "भागीदारों", और "भागीदार", जब अलग-अलग रूप से संदर्भित किया जाए, कहा जाएगा);

आर्थिक और प्रौद्योगिकीय आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए अपनी सहयोगपूर्ण भागीदारी की पुनर्पुष्टि की **अनुकांक्षा** करते हुए;

परस्पर लाभ के लिए नवप्रयोग, रचनात्मकता और प्रौद्योगिकीय उन्नति को बढ़ावा देने के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और आईपी जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करके राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रणालियों के विस्तार और उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता को **स्वीकार** करते हुए;

पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिह्न, प्रतिलिप्याधिकार और भौगोलिक संकेतक प्रदान करने अथवा पंजीकरण की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार लाने के महत्व **को ध्यान में** रखते हुए;

निम्नलिखित समझौते पर पहुँचे हैं:

I. उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन (जिन्हें इसमें इसके बाद "एमओयू" कहा जाएगा) का उद्देश्य आईपी के क्षेत्र में भागीदारों के बीच सहयोग कार्यकलापों को विकसित और सुदृढ़ करने हेतु एक व्यापक और सुनम्य तंत्र की स्थापना करना है।

II. सहयोग के क्षेत्र

इस एमओयू में संदर्भित सहयोग कार्यकलापों को निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा सकता है:

क) आम जनता और उद्योग, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) संगठनों तथा लघु व मध्यम आकार के उद्यमों के बीच एकल या संयुक्त रूप से प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रमों और आयोजनों में भागीदारी के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और ज्ञान के आदान-प्रदान और प्रचार-प्रसार की सुविधा प्रदान करना;

ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, तकनीकी आदान-प्रदान और आउटरीच गतिविधियों में सहयोग;

ग) पेटेंट, व्यापार चिह्न, प्रतिलिप्याधिकार, भौगोलिक संकेतक और औद्योगिक डिजाइन, साथ ही आईपी अधिकारों के संरक्षण, प्रवर्तन और उपयोग हेतु आवेदन के पंजीकरण और जांच के लिए प्रक्रियाओं पर सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान;

घ) आईपी के संबंध में स्वचालन और आधुनिकीकरण परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन, नए दस्तावेजीकरण और सूचना प्रणाली तथा आईपी कार्यालय सेवाओं के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं पर जानकारी का आदान-प्रदान;

ङ) पारंपरिक ज्ञान से संबंधित विभिन्न मुद्दों को समझने के लिए सहयोग और पारंपरिक ज्ञान डेटाबेस से संबंधित और पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा के लिए मौजूदा आईपी प्रणालियों के उपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने सहित सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान; और

च) प्रतिभागियों द्वारा पारस्परिक रूप से लिए निर्णय के अनुसार अन्य सहयोगपूर्ण कार्यकलाप।

III. कार्य योजनाएं

प्रतिभागियों का इरादा द्विवार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने का है जो इस बारे में उनके इरादों को चिह्नित करेंगी कि वे किस प्रकार सहयोगपूर्ण कार्यकलापों को पूरा कर सकते हैं, जिसमें गतिविधियों के कार्यक्षेत्र और कैसे उनका प्रबंधन किया जा सकता है, भी शामिल होगा।

IV. निगरानी तंत्र

इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन से संबद्ध मामलों का मूल्यांकन करने के लिए भागीदार जितनी बार बैठकें करने का निर्णय लें, बैठक कर सकते हैं।

V. वित्तीयन

क) भागीदारों द्वारा सहयोग कार्यकलापों का वित्तीयन उनके संबंधित बजट में निधियों की उपलब्धता, बजटीय मूल्यांकन तथा लागू कानून के प्रावधानों के अध्यधीन है।

ख) भागीदारों का विचार है कि इस समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग कार्यकलापों पर होने वाले सभी व्यय भागीदारों द्वारा लिए गए परस्पर निर्णय के अनुसार वित्तपोषित किए जाएं।

ग) भागीदार जानते हैं कि इस समझौता ज्ञापन के तहत किसी सहयोग कार्यकलाप के लिए उनके बीच किसी भी निधि का अंतरण नहीं किया जाएगा।

घ) यह समझौता ज्ञापन भागीदारों पर निधियों की बाध्यता और इस समझौता ज्ञापन में अपेक्षित किसी या सभी सहयोग कार्यकलापों या कार्य-योजना को पूरा करने की बाध्यता नहीं रखता है।

ङ) कार्मिकों के आदान-प्रदान के विशिष्ट मामले में, भागीदारों को इस कार्यकलाप में लागू होने वाली शर्तों को, लिखित रूप में, निर्धारित करना होगा।

VI. सूचना साझा करना

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भागीदारों द्वारा गोपनीय सूचना के आदान-प्रदान करने का इरादा नहीं है। किसी विधि या विनियम द्वारा अपेक्षित होने के अलावा, इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रदान की गई कोई भी सूचना, जिसके संबंध में सूचना प्रदान करने वाले भागीदार ने रोक लगाई हो, सूचना प्रदान करने वाले भागीदार की लिखित सहमति के बिना तीसरे पक्षकार को सूचना प्रदान नहीं की जाएगी।

VII. सीमाएं

क) यह समझौता ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा भागीदारों के घरेलू कानून के अंतर्गत किसी विधिक अधिकार या बाध्यता का सृजन नहीं करता है।

ख) भागीदार जानते हैं कि यह समझौता ज्ञापन संबंधित भागीदारों के सभी लागू कानूनों और विनियमों के अध्यधीन होगा। इस समझौता ज्ञापन से उन मौजूदा समझौतों अथवा व्यवस्थाओं के अंतर्गत भागीदारों के अधिकारों, बाध्यताओं अथवा प्रतिबद्धताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके ये भागीदार एक पक्ष अथवा हस्ताक्षरकर्ता हैं।

VIII. विवाद का निपटान

इस समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन, व्याख्या या अनुप्रयोग के संबंध में उठने वाले किसी विवाद का निपटान सौहार्दपूर्ण तरीके से हस्ताक्षकर्ताओं के बीच परस्पर परामर्श से किया जाएगा।

IX. कार्मिक

क) इस समझौता ज्ञापन में निर्धारित सहयोग कार्यकलापों के विकास के लिए किसी भागीदार के कार्मिक जो इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कार्यकलापों में सहयता के लिए कार्य कर रहे हैं वे उस भागीदार के कार्मिक बने रहेंगे और उस भागीदार के निर्देश और प्राधिकार के अधीन रहेंगे। भागीदारों का विचार है कि दूसरे भागीदार के साथ कोई रोजगार संबंध सृजित नहीं किया जाएगा, जिसे, किसी भी परिस्थिति में चाहे वे जैसी भी हों, एक प्रतिस्थापन नियोक्ता नहीं माना जाएगा।

ख) इस समझौता ज्ञापन के समर्थन में कार्य कर रहे कार्मिक मेजबान देश में लागू अप्रवासन, सीमा शुल्क, कर, स्वास्थ्य-स्वच्छता और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों के अध्यधीन होंगे और उन्हें इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कार्यकलापों में सहयोग करने वाले अपने नियोक्ता द्वारा प्राधिकृत कार्य को छोड़कर मेजबान देश में किसी अन्य रोजगार कार्यकलाप में भाग नहीं लेना चाहिए। इस समझौता ज्ञापन के तहत कार्यरत कार्मिक मेजबान देश को वहां लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप ही छोड़ेंगे।

X. अन्तिम प्रावधान

क) यह समझौता ज्ञापन भागीदारों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होगा और यह इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से दस (10) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा।

ख) परस्पर सहमति से इस समझौता ज्ञापन को भागीदारों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऐसे संशोधन लिखित में करने होंगे।

ग) इस समझौता ज्ञापन के तहत कोई भागीदार सहयोग समाप्त कर सकता है, लेकिन उसे दूसरे भागीदार को इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अपने निर्णय के सम्बंध में कम से कम नब्बे (90) दिन पहले लिखित रूप में सूचना देनी होगी।

घ) इस समझौता ज्ञापन को समय से पहले समाप्त किए जाने पर, इस समझौता ज्ञापन के चालू रहने के दौरान शुरू किए गए किसी कार्यकलाप को भागीदार पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन यह उन पर बाध्यकारी नहीं है।

दिनांक 02/11/2020 को "अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया" में अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में प्रत्येक की दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित। दोनों भाषाओं के पाठ की व्याख्या में अंतर होने पर अंग्रेजी भाषा प्रामाणिक होगी।

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

भारत गणराज्य की ओर से

नामः गुरूप्रसाद महापात्र
पदनामः सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग

संयुक्त राज्य पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय
(यूएसपीटीओ), वाणिज्य विभाग

संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से

नामः अंद्रेई इयानकु
पदनामः वाणिज्य सचिव, बौद्धिक संपदा के लिए व निदेशक, संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय।